न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदीलाल मीना आर0ए0एस0

अपील सं0 19/2016 तारीख रजू 19/10/2016 तारीख निर्णय 03.02.2017

उनवान

1. राजाराम पुत्र हनुवत जाति अहीर निवासी ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

(अपीलान्ट)

बनाम

2. राजेन्द्रप्रशाद पुत्र राजाराम
3. कमला पुत्री राजाराम
4. सरिता पुत्री राजाराम
5. संतोष पुत्री राजाराम
6. सुनीता पुत्री राजाराम जाति अहीरान ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

(रेस्पोडेण्टान)

अपील नामान्तकरण

उपस्थितः—

1. श्री सूबेसिंह यादव अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट श्री राजाराम पुत्र हुनवत उम्र करीब 70 साल जाति अहीर निवासी गंगापुरी तहसील कोटकासिम द्वारा ग्राम पंचायत लाडपुर का नामान्तकरण सं0 365 पर दिनांक 06.09.2004 को पारित निर्णय से नाखुश होकर एक अपील मय प्रार्थनापत्र लिमिटेशन एक्ट धारा 5 इस न्यायालय में पेश की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी तलब किया गया । तलवाना मय लिफाफा व रिर्पोट पोस्टमैन पोस्ट आफिस द्वारा प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार की रिर्पोट के साथ वापस इस न्यायालय को प्राप्त हुऐ, जो पत्रावली में शामिल है। रजिस्टर्ड ए0डी0 "लेने से

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

इन्कार" को पर्याप्त तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात प्रकरण अपील एक पक्षीय बहस हेतु नियत हुई।

अपीलान्ट अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्यतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) एवं धारा 16 पर प्रकाश डालते हुऐ इससे सम्बन्धित उद्धरण पेश किया और अपीलान्ट को मृतका का पति एवं रेस्पोडेन्टान का पिता बताते हुऐ पत्नि की सम्पति में प्रथम श्रेणी का वारिस होना बताया तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार करते हुऐ अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 365 पर ग्राम पंचायत लाडपुर का निर्णय 06.09.2004 को निरस्त करने एवं रेस्पोडेन्टान के साथ मृतक सारली पुत्री रामसिंह पत्नि अपीलान्ट की विरासत में हिस्सानुसार अपीलान्ट का नाम दर्ज कर नामान्तकरण सं0 365 को स्वीकार करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा अपीलान्ट वकील की बहस पर मनन किया और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुंचा :–

अ) सर्व प्रथम लिमिटेशन माफी प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर विश्वास करते हुऐ प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय होने को न्याय संगत मानते हुऐ प्रार्थनापत्र विलम्ब माफी लिमिटेशन एक्ट धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

ब) पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 365 निर्णय दिनांक 06.09.2004 का धारा 15 (1) एवं धारा 16 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आलोक में अवलोकन किया गया और पाया कि किसी पत्नि के नाम अंकित सम्पति में उसकी मृत्युपरान्त उसकी विरासत में उसकी सन्तान के साथ–साथ उसके पति (जिवित) भी प्रथम श्रेणी का वारिस / हकदार है।

अपीलाधीन नामान्तकरण में केवल मृतका सारली के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम ही विरासत अंकित की गई है और उनके पति श्री राजाराम पुत्र हनुवत का नाम विरासत नामान्तकरण में नहीं है। जो स्पष्ट रुप से कानूनी भूल है

304

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर (राज0)

Scanned by CamScanner

तथा एक लीगल वारिस को हकदार होते हुऐ भी उसको अपने कानूनी हक से महरुम रखा गया। ग्राम पंचायत का निर्णय अनुचित एवं कानून के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत लाडपुर का नामान्तकरण सं0 365 पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2004 वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतका सारली के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर आलोच्य नामान्तकरण पर पुनः निर्णय पारित करें। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाती हैं। बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उमेदी लाल मीना
एस0डी0एम0 कोटकासिम

Scanned by CamScanner